रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72

REGISTERED No. D (DN) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 1986/माघ 23, 1907

No. 74] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 1986/MAGHA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

अधिसूचनाएं

सा. का. नि. 193 ई— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 198 , है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2 डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 8 में,

(i) विद्यमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात् –

"(क) कोई भी जमा रकम उसके जमा किये जाने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व नहीं निकाली जाएगी।

(कक) जहां एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय या पांच वर्षीय खाते में जमा रकम, उसे जमा करने की तारीख से छह मास के पश्चात किन्तु एक वर्ष की समाप्ति के पहले, परिपक्वता से पूर्व निकाली जाती है वहां जमाकर्ता को कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ;

(ii) खंड (ख) में, जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय, पांच वर्षीय खाते में जमा रकम परिपक्वता से पूर्व निकाली जाती है शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय या पांच वर्षीय खाते में जमा रकम, उसे जमा करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात परिपक्वता से पूर्व निकाली जाती है," शब्द रखे जाएंगे।

[सं. फ. 2/28/84- एन एस(i)]

टिप्पण—मूल नियम सा. का. नि. 664 (अ) तारीख 17-12-81 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका सा. का. नि. 300 (अ) तारीख 1-4-82, सा. का. नि. 257 (अ) तारीख 11-3-83 और सा. का. नि. 418 (अ) तारीख 10-5-85 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 12th February, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. No. 193 (E):—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1986.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 8.—

(i) for the existing clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a) No deposit may be withdrawn before the expiry of six months from the date of deposit.

(aa) Where a deposit in a 1-year, 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely after 6 months but before the expiry of one year from the date of deposit, no interest shall be payable to the depositor";

(ii) In clause (b), for the words and figures "Where a deposit in a 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely", the words and figures "Where a deposit in a 2-year, 3-year or 5-year account is withdrawn prematurely after the expiry of one year from the date of deposit," shall be substituted.

[F.No. 2/28/84-NS(i)]

Note:—The principal rules were published vide G.S.R. 664(E) dated 17-12-81 and amended vide G.S.R. 300(E) dated 1-4-82, G.S.R. 257(E) dated 11-3-83 and G.S.R. 418(E) dated 10-5-85.

सा. का. नि. 194(ई) :— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 में नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"9क. परिपक्वता पूर्व खाता बंद करना — किसी खाते का धारक खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात खाते को परिपक्वता पूर्व बंद कर सकेगा :

परन्तु खाते के ऐसे परिपक्वता पूर्व बंद किये जाने की दशा में कोई भी ब्याज संदेय नहीं होगा।"

[सं. फा. 2/28/84-एन एस (ii)]

टिप्पण— मूल नियम सा. का. नि. 666 (अ) तारीख 17-12-81 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका सा. का. नि. 301 (अ), तारीख 1-4-82, सा. का. नि. 258 (अ), तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 62 (अ), तारीख 14-2-84 और सा. का. नि. 95 (अ) तारीख 7-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था।

G.S.R. NO. 194 (E):—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:— "9A. Premature closure:—The holder of an account may prematurely close the account after one year from the date of opening of the account.

Provided that no interest shall be payable in the case of such premature closure of an account."

[F.No. 2/28/84-NS (ii)]

Note:—The principal rules were published vide GSR 666(E) dated 17-12-81 and amended vide GSR 301 (E) dated 1-4-82, GSR 258(E) dated 11-3-83, GSR 62(E) dated 14-2-84 and GSR 95(E) dated 7-2-86.

सा. का. नि. 195 (ई)— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) नियम 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (छठा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत-पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 में,—

(क) नियम 3 में, "10 रु" अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"3क. 10 रु. के अंकित मूल्य में राष्ट्रीय बचत-पत्र प्रमाणपत्र (छठा निर्गम) बन्द करना

(1) 1 अप्रैल, 1986 को और से, 10 रु. के अभिधान मे राष्ट्रीय बचत-पत्र (छठा निर्गम) को बन्द कर दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 1986 से पहले क्रय किए गए 10 रु. के अभिधान के किसी पत्र को ये नियम लागू रहेंगे" ;

(ग) नियम 19 में —

(i) "10 रु के अभिधान के लिये 20.15 रु." अंकों और शब्दों के स्थान पर "100 रु के अंकित मूल्य के लिए 201.50 रु" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :—

"सारणी

वर्ष जिसके लिये ब्याज प्रोद्भूत होता है	100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम रु.
पहला वर्ष	12.10
दूसरा वर्ष	13.90
तीसरा वर्ष	15.60
चौथा वर्ष	17.50
पाचवां वर्ष	19.70
छठा वर्ष	22.40

टिप्पण :—किसी अन्य अभिधान के पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम ऊपर सारणी मे विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात मे होगी।" ,

(iii) परन्तुक में, "10 रु के अभिधान के लिये 21.30 रु" अंकों और शब्दो के स्थान पर "100 रु. के अभिधान के लिए 213 रु." अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) परन्तुक के नीचे की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

वर्ष जिसके लिये ब्याज प्रोद्भूत होता है	100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम रु.
पहला वर्ष	13.40
दूसरा वर्ष	15.20
तीसरा वर्ष	17.30
चौथा वर्ष	19.60
पांचवां वर्ष	22.20
छठा वर्ष	25.30

टिप्पण :— किसी अन्य अभिधान के पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम ऊपर सारणी मे विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।" ;

( ) विद्यमान नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"20 समय पूर्व भुनाना — (1) नियम 19 में किसी बात के होते हुए भी और उपनियम (2), (3) और (4) के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल 1986 को या उसके पश्चात क्रय किए गए किसी पत्र को निम्न लिखित परिस्थितियो में से किसी में भी समय-पूर्व भुनाया जा सकेगा, अर्थात :—

(क) धारक की या संयुक्त धारकों की दशा मे दोनों धारकों की मृत्यु होने पर ;

(ख) जब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है ;

(ग) न्यायालय का आदेश होने पर।

(2) यदि कोई पत्र, उपनियम (1) के अधीन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भुनाया जाता है तो पत्र का केवल अंकित मूल्य संदेय होगा और कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।

(3) यदि कोई पत्र, उपनियम (1) के अधीन, पत्र की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व भुनाया जाता है तो भुनाया जाना कटौती पर होगा। पत्र के भुनाए जाने पर पत्र के अंकित मूल्य के समतुल्य रकम साधारण ब्याज सहित संदेय होगी। ऐसे साधारण ब्याज की संगणना ऐसे पूर्ण मासों के लिये, जिनके लिये पात्र धारित किया गया है, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन एकल खातों को समय-समय पर

लागू दर पर अंकित मूल्य पर की जाएगी । पूर्वोक्त साधारण ब्याज और नियम 19 के अधीन प्रोदभूत होने वाले ब्याज के बीच के अन्तर को कटौती समझा जाएगा ।

(4) यदि कोई पत्र, उपनियम (1) के अधीन पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भुनाया जाता है, तो संदेय रकम, जिसमे नियम 19 के अधीन प्रोदभूत ब्याज भी सम्मिलित है, और कटौती का समायोजन करने के पश्चात वह होगी जो 100 रुपये के अभिधान वाले पत्र के लिए नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है और वह किसी अन्य अभिधान वाले पत्र के लिए समानुपातिक दर पर होगी ।

"सारणी

पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की अवधि	संदेय रकम जिसमे ब्याज भी सम्मिलित है । (रु. मे)
(1)	(2)
3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम	132.00
3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम	138.50
4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	145.00
4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	152.00
5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	159.00
5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम	166.50"

(ङ) प्ररूप 1 और प्ररूप 1क, पैरा (1) के अधीन विवरण में, '10' अंक का लोप किया जाएगा ।

[सं. फा. 2/28/84-रा-बचत (iii)]

टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. 309 (अ) तारीख 24-4-81, द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका सा. का. नि. 751 (अ) तारीख 10-12-82, सा.का. नि. 259 (अ) तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 797 (अ) तारीख 24-10-83 और सा. का. नि. 715 (अ) तारीख 4-9-1985 द्वारा संशोधन किया गया था ।

G.S.R. 195 (E):—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VI Issue) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1986.

2. In the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981,—

(a) in rule 3, the word and figures "Rs. 10", shall be omitted,

(b) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

"3A. Discontinuance of National Savings Certificates (VI Issue) in denomination of Rs. 10.

(1) On and from the 1st day of April, 1986, the National Savings Certificates (VI Issue) in denomination of Rs. 10 shall be discontinued.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these rules shall continue to apply to any certificate in denomination of Rs. 10 purchased before the 1st day of April, 1986".;

(c) in rule 19,—

(i) for the words and figures "Rs. 20.15 for the denomination of Rs. 10", the words and figures "Rs. 201.50 for the denomination of Rs. 100" shall be substituted:

(ii) for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest accruing on certificates of Rs. 100 denomination Rs.
First Year	12.40
Second Year	13.90
Third Year	15.60
Fourth Year	17.50
Fifth Year	19.70
Sixth Year	22.40

Note:—The amount of interest accruing on a Certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.".

(iii) in the proviso, for the words and figures "Rs. 21.30 for the denomination of Rs. 10/-" the words and figures "Rs. 213 for the denomination of Rs. 100" shall be substituted;

(iv) for the Table below the proviso, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest accruing on a certificate of Rs. 100 denomination
	Rs.
First Year	13.40
Second Year	15.20
Third Year	17.30
Fourth Year	19.60
Fifth Year	22.20
Sixth Year	25.30

Note:—The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.";

(d) for the existing rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

"20. Premature encashment—(1) Notwithstanding anything contained in rule 19 and subject to sub-rules (2), (3) and (4), a certificate purchased on or after the 1st day of April, 1986 may be prematurely encashed in any of the following circumstances, namely:—

(a) on the death of the holder or both the holders in case of joint holders;

(b) on forfeiture by a pledgee being a Gazetted Government officer, when the pledge is in conformity with these rules;

(c) when ordered by a court of Law.

(2) If a certificate is encashed under sub rule (1) within a period of one year from the date of the certificate, only the face value of the certificate shall be payable and no interest shall be payable.

(3) If a certificate is encashed under sub rule (1) after the expiry of one year but before the expiry of three years from the date of certificate, the encashment shall be at a discount. On encashment of the certificate, an amount equivalent to the face value of the certificate together with simple interest shall be payable. Such simple interest shall be calculated on the face value, at the rate applicable from time to time to single accounts under the Post Office Savings Account Rules, 1981, for the complete months for which the certificate has been held. The difference between the aforesaid simple interest and the interest accruing under rule 19 shall be deemed to be the discount.

(4) If a certificate is encashed under sub rule (1) after the expiry of three years from the date of the certificate, the amount payable inclusive of interest accrued under rule 19 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable, inclusive of interest
	Rs.
1	2
3 years or more, but less than 3 years and 6 months	132.00
3 years and 6 months or more, but less than 4 years	138.50
4 years or more, but less than 4 years and 6 months	145.00
4 years and 6 months or more, but less than 5 years	152.00
5 years or more, but less than 5 years and 6 months	159.00
5 years and 6 months or more, but less than 6 years	166.50"

(e) In Form 1 and Form 1A, in the statement under paragraph (1), the figures "10" shall be omitted.

[F.No. 2/28/84-NS (iii)]

Note:—The principal rules were issued vide G.S.R. 309 (E) dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 751(E) dated 10-12-82, G.S.R. 259(E) dated 11-3-83, G.S.R. 797(E) dated 24-10-83 and G.S.R. 715(E) dated 4-9-1985.

सा. का. नि. 196 ई :– केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) नियम 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 में, विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :–

"20 समय-पूर्व भुनाना – (1) नियम 19 में किसी बात के होते हुए भी और उपनियम (2) और (3) के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल 1986 को या उसके पश्चात क्रय किये गये किसी पत्र को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी समय पूर्व भुनाया जा सकेगा, अर्थात :–

(क) धारक की या संयुक्त धारकों की दशा में दोनों धारकों की मृत्यु होने पर ;

(ख) जब गिरवी इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर, जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है,

(ग) न्यायालय का आदेश होने पर।

(2) यदि कोई पत्र उपनियम (1) के अधीन भुनाया जाता है तो पत्र का अंकित मूल्य उसमें से, नीचे विनिर्दिष्ट रूप में कटौती कर दिये जाने के पश्चात संदेय होगा :—

(i) यदि पत्र की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व पत्र भुनाया जाता है।	कटौती नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज के समतुल्य होगी।
(ii) यदि पत्र की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व, पत्र भुनाया जाता है।	कटौती, (क) नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज ; और (ख) पत्र के अंकित मूल्य पर, ऐसी दर से जो डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के अधीन एकल खाते को समय-समय पर लागू है, उन पूर्ण मासों के लिए जिसके लिये पत्र धारण किया गया है, संगणित साधारण ब्याज के बीच अन्तर के समतुल्य होगी।

(3) यदि कोई पत्र उपनियम (1) के अधीन, पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात भुनाया जाता है, तो कटौती का समायोजन करने के पश्चात संदेय रकम नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप मे होगी :—

सारणी

पत्र के समय-पूर्व भुनाये जाने पर कटौती के समायोजन के पश्चात संदेय रकम

पत्र की तारीख से पत्र के भुनाये जाने की तारीख तक की अवधि	कटौती के समायोजन के पश्चात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर संदेय रकम (रु. में)
1	2
3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम	91–55
3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम	89–90
4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	88–15
4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	86–35
5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	84–45
5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम	82–45

टिप्पण :— किसी अन्य अभिधान के पत्र पर कटौती के समायोजन के पश्चात संदेय रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

(4) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी पत्र का क्रय 1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात नियम 8 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और उसके लिये संदाय उक्त परन्तुक मे विनिर्दिष्ट किसी रीति से किया गया है तो पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसे पत्र के भुनाने पर संदेय रकम कटौती का समायोजन करने के पश्चात वैसी होगी जो नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट है :—

सारणी

पत्र के समय-पूर्व भुनाए जाने पर कटौती के समायोजन के पश्चात संदेय रकम।

पत्र की तारीख से पत्र के भुनाये जाने की तारीख तक की अवधि	कटौती के समायोजन के पश्चात 100 रु. के अभिधान वाले पत्र पर संदेय रकम (रु. में)
3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम	88.15
3 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम	85.85
4 वर्ष या अधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम	83.45
4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	80.90
5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम	78.25
5 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम	75.45

टिप्पण :— किसी अन्य अभिधान के पत्र पर कटौती के समायोजन के पश्चात संदेय रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।" ।

[फा. स. 2/28/84-रा. बचत(4)]

के. एस. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम सा. का. नि. 310 (अ) तारीख 24-4-81 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनका

सा का नि 752 (अ) तारीख 10-12-82, सा का नि. 260(अ) तारीख 11-3-83, सा का नि 798(अ) तारीख 24-10-83 और सा का नि 716 (अ) तारीख 4-9-85 और सा का नि स 85(अ) तारीख 3-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था।

G.S.R. No. 196(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1986.

2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, for the existing rule 20, the following rule shall be substituted, namely :—

"20. Premature encashment.—(1) Notwithstanding anything contained in rule 19 and subject to sub-rule (2) and (3) a certificate purchased on or after the 1st day of April, 1986 may be prematurely encashed in any of the following circumstances, namely :—

(a) on the death of the holder or both the holders in case of joint holders,

(b) on forfeiture by a pledgee being a Gazetted Government Officer when a pledge is in conformity with the provisions of these rules,

(c) when ordered by a court of law.

(2) If a certificate is encashed under sub rule (1) the face value of the certificate shall be payable after deducting therefrom discount as specified below :—

(i) If the certificate is encashed before the expiry of one year from the date of the certificate	discount equivalent to the interest paid or payable under sub-rule (2) of rule 19
(ii) If the certificate is encashed after the expiry of one year but before the expiry of three years from the date of the certificate	discount equivalent to the difference between (a) the interest paid or payable under sub rule (2) of rule 19 and (b) simple interest calculated on the face value of the certificate at the rate applicable from time to time to single accounts under the Post Office Savings Account Rules, 1981 for the complete months for which the certificate has been held

(3) If a certificate is encashed under sub rule (1) after the expiry of three year from the date of the certificate the amount payable after adjustment of discount shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Amount payable after adjustment of discount on premature encashment of a certificate

Period from the date of the certificate to the date of its encashement	Amount payable (Rs.) on a certificate of Rs. 100 denomination
3 years or more but less than 3 years and 6 months	91.55
3 years and 6 months or more, but less than 4 years	89.90
4 years or more, but less than 4 years and 6 months	88.15
4 years and 6 months or more but less than 5 years	86.35
5 years or more, but less than 5 years and 6 months	84.45
5 years and 6 months or more, but less than 6 years	82.45

Note.—The amount payable after adjustment of discount on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), where a certificate has been purchased on or after the 1st March, 1983, by or on behalf of an individual specified in the proviso to rule 8 and payment therefor has been made in any of the modes specified in the said proviso, the amount payable on encashment of such certificate after the expiry of three years from the date of the certificate after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Amount payable after adjustment of discount on premature encashment of a certificate

Period from the date of certificate to the date of its encashment	Amount payable (Rs.) on a certificate of Rs. 100/- denomination.
3 years or more, but less than 3 years and 6 months	88.15
3 years and 6 months or more but less than 4 years	85.85
4 years or more but less than 4 years and 6 months	83.45
4 years and 6 months or more but less than 5 years	80.90
5 years or more but less than 5 years and 6 months	78.25
5 years and 6 months or more but less than 6 years	75.45

Note.—The amount payable after adjustment of discount on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

[F. No. 2/28/84-NS (iv)]
K. S. SASTRY, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published vide G.S.R. 310 (E) dated 24.4.81 and amended vide G.S.R. 752 (E) dated 10-12-82, G.S.R. 260 (E) dated 11-3-83, G.S.R. 798 (E) dated 24.10.83 and G.S.R. 716 (E) dated 4.9.85 and G.S.R. No. 85(E) dated 3-2-86.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986